राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः– प.1(4)(1) नपा/रानिआ/14/4056 दिनांकः– 16/10/2019

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर)(नगरपालिका), राजस्थान।

विषयः– नगरपालिका निर्वाचन में मतदाता सहायता केन्द्र (Voter Assistence Booth) की स्थापना के संबंध में।

महोदय,

नगरीय निकायों के आम चुनावो में विशेषकर नगर निगम एवं नगर परिषद् क्षेत्रों में मतदान भवन घनी आबादी में स्थित होते हैं, जिससे इस बात की पूरी संभावना रहती है कि एक ही मतदान भवन पर एक से अधिक मतदान केन्द्रों की स्थापना की गई हो। राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर किए जाने वाले परिसीमन के कारण वार्डो की सीमाओं में परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण मतदान केन्द्र भी परिवर्तित हो सकते हैं। ऐसे में इन मतदान भवनो पर मतदाताओं की भीड–भाड होने एवं असमंजस के कारण मतदाताओं कों अपने संबंधित मतदान केन्द्र तक पहुॅंचने में कठिनाई का सामना करना पड सकता है, एवं मतदाता अपने मताधिकार से वंचित रह सकते है। मतदाता के पास मतदान केन्द्र की जानकारी पूरी न होने से मतदान केन्द्र में मतदान दल से भी पूछताछ करने की स्थिति मे मतदान प्रक्रिया में व्यवधान आ सकता है।

अतः मतदाताओं को अपने संबंधित सही मतदान केन्द्र तक जानें के लिए मार्गदर्शन करने हेतु प्रत्येक मतदान भवन पर ''मतदाता सहायता केन्द्र'' (Voter Assistence Booth) स्थापित किये जावे। इन केन्द्रो पर बूथ लेवल अधिकारी (BLO) स्तर के कार्मिकों को नियुक्त किया जाये। प्रत्येक मतदाता सहायता केन्द्र पर उपस्थित कार्मिकों के पास मतदाता सूची रहेगी जिससे वे मतदाताओं को उस भवन के सही मतदाता केन्द्र पर जाने और उनके मतदाता क्रमांक बताने में सहायता करेंगें। जिन मतदान भवनों पर पांच तक मतदान केन्द्र है वहां दो सहायक तथा जिन भवनों में पांच से अधिक मतदान केन्द्र है वहां स्थानीय स्तर पर निर्णय लेकर सहायक लगाये जावें।

मतदाता सहायता केन्द्र पर पदस्थापित कार्मिकों के मोबाईल फोन नम्बर भी संकलित कर लिये जाये ताकि मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर गतिविधियों की जानकारी उनके माध्यम से ली जा सके। प्रत्येक मतदाता सहायता केन्द्र पर टेबल, कुर्सी एवं आवश्यकतानुसार छाया की व्यवस्था भी की जावे।

उपरोक्तानुसार व्यवस्था नगर निगमों एवं नगर परिषद चुनावों में की जावे।

16.10.2019
(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

क्रमांकः– प.1(4)(1) नपा/रानिआ/14/4057-58 दिनांकः– 16/10/2019

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी।
2. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग को संबंधित को मेल करने एवं आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

16/10/19
सहायक सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान